तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **मुन्तकिली / टीए / 1305 / 2025 / सीकर** **सम्पतीदेवी बनाम निखिल कुमार पोदार, SDO**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–

श्री दिनेश कुमार सैन, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री शशिकांत जोशी
श्री मुकेश जैन] अधिवक्ता अप्रार्थी

दिनांक : 14–08–2025

निर्णय

यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर श्री निखिल कुमार पोदार के विरूद्ध प्रस्तुत कर उनके समक्ष विचाराधीन वादपत्र संख्या 216 / 2022 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की मुंतकिल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पीठासीन अधिकारी निखिल कुमार पोदार, उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष प्रार्थीया ने वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण के नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये और वादपत्र के साथ प्रस्तुत धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनकर अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया और पत्रावली में आगामी पेशी नियत की गयी। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका प्रभाव जिला कलेक्टर पर भी है इसलिए तुम्हारे पक्ष में जारी स्थगन आदेश को इस पेशी पर निरस्त किया जायेगा और प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का भी अन्तिम निर्णय तुम्हारे विरूद्ध ही होगा तथा प्रार्थीया को जब यह अवगत हुआ कि अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर वादपत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निर्णय अपने पक्ष में करवाने पर आमादा हो रहे हैं और इनके भंयकर दबाव के कारण उक्त प्रकरण में कानून के अनुसार निर्णय करने में पीठासीन अधिकारी असमर्थ है, इससे प्रार्थीया को स्पष्ट हो गया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रार्थीया के विरूद्व ही होगा जिससे प्रार्थीया को उनके न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र निम्न ठोस आधारों पर माननीय राजस्व मण्डल के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **मुन्तकिली / टीए / 1305 / 2025 / सीकर** **सम्पतीदेवी बनाम निखिल कुमार पोदार, SDO**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

उनका तर्क है कि विद्वान पीठासीन अधिकारी प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीया को सुने बिना ही प्रश्नगत प्रकरण का निर्णय प्रार्थीया के विरूद्ध करने पर अमादा है तथा पत्रावली पर अपनायी जा रही प्रकिया से उनका नजरिया स्पष्ट है कि वे येन–केन प्रकरण अप्रार्थीगण को फायदा पहुंचाना चाहते हैं जिससे प्रार्थीया को उनके न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की कतई उम्मीद नहीं है। प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अप्रार्थीगण धनाड्य एवं राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनायी जा रही विधिक प्रक्रिया से प्रार्थीया को पूर्णतया स्पष्ट हो गया कि प्रश्नगत प्रकरण का निर्णय प्रार्थीया के विरूद्ध ही होगा क्योंकि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को न्यायालय परिसर में ही यह ऐलानिया धमकी दी कि प्रकरण का फैसला तो हमारे पक्ष में ही होगा इसलिए अप्रार्थीगण की उक्त ऐलानिया धमकी एवं पीठासीन अधिकारी से उनकी नजदीकियों एवं राजनीतिक अप्रोच के कारण प्रार्थीया को उनके न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद शेष नहीं है। अतः उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीया को माननीय मण्डल ही मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अनुतोष प्रदान कर सकता है ताकि प्रार्थीया को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके।

न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय केवल किया जाना ही पर्याप्त नही है बल्कि न्याय किया जाना स्पष्टतः प्रतीत होना भी आवश्यक है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है बल्कि प्रार्थीया को यह पूर्णतया एहसास हो चुका है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण का फैसला प्रार्थीया के विरूद्ध अप्रार्थीगण के पक्ष में ही करेगें। इस दृष्टिकोण से भी पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, सीकर श्री निखिल कुमार पोदार के न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र संख्या 216 / 2022 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उनवानी सम्पतीदेवी बनाम प्रभुदयाल आदि वादपत्र संख्या 216 / 2022 एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को जिले से बाहर किसी भी सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश प्रदान किए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **मुन्तकिली / टीए / 1305 / 2025 / सीकर** **सम्पतीदेवी बनाम निखिल कुमार पोदार, SDO**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जावें।

इसके विरूद्ध अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना–पत्र में लिए गए आधार मनगढ़न्त एवं मिथ्या है। प्रार्थी स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं एवं प्रकरण को देरी ना करने के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः भारी कॉस्ट लगाकर मुन्तकिली प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

प्रश्नगत प्रकरण में पैरावाईज टिप्पणी चाही गई थी जो अभी तक अप्राप्त है परन्तु अभिभाषकगण उभय पक्ष उक्त प्रकरण में बहस करने पर सहमत है।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा मंडल में मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरण हेतु निवेदन किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी हमारे समक्ष ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हो। हमारे मत में प्रार्थी द्वारा प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने के उद्धेश्य से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि पीठासीन अधिकारी, अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकरण में कार्यवाही कर रहे हों। हमारे मत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने के उद्देश्य से काल्पनिक तथ्यों पर आधारित यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जैसा कि राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा 1994 RRD 117 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

"Transfer of a case from a competent Court is not a mere formality but it certainly casts a stigma on its Presiding Officer. It is true that the justice should not only be done but it should appear to have been done. Transferring a case without sufficient or adequate reason even on the basis of consent of the parties or convenience of parties is not called for or cannot be done. There must be a reasonable apprehension in the mind of a litigant seeking transfer of a case from the Court of a particular Presiding Officer. Mere making any observation by the Presiding Officer during hearing an appeal and on the basis of such observations, if any of

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज **मुन्तकिली / टीए / 1305 / 2025 / सीकर** **सम्पतीदेवी बनाम निखिल कुमार पोदार, SDO**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

the parties to the appeal feels that the result of the appeal may go against it, it cannot be said that such a party has a reasonable apprehension that it would not get justice in the case, ….”

इसी प्रकार 2006–07 (Supp.) RRT 435 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

‘‘फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। बिना ठोस आधारों के मुन्तकिली प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्याय प्रक्रिया के अधीन पक्षकारों को प्राप्त सुविधाओं एवं हकों की आड़ में दुरूपयोग को बढावा नहीं मिलना चाहिये। उच्च अदालतों को यह भी देखना चाहिये कि इस प्रकार के प्रावधानों का abuse of the process of law नहीं हो।’’

उक्त न्यायिक दृष्टान्तों का अनुसरण करते हुये हमारा मत है कि न्यायिक प्रक्रिया में विश्वसनीयता होनी चाहिये और अगर किसी पक्षकार द्वारा ठोस कारणों के साथ किसी पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता के बाबत शंका प्रकट की जाती है तो प्रकरण को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिये किन्तु साथ ही किसी पक्षकार को यह अनुमति भी नहीं दी जानी चाहिये कि वह आधारहीन एवं काल्पनिक तथ्यों के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया का अनुचित लाभ लेते हुये अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आरोप लगावे अथवा न्याय के मार्ग में रूकावट पैदा करे। अतः पीठासीन अधिकारी के व्यवहार एवं निष्पक्षता के सबंध में बिना किसी ठोस साक्ष्य के मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

आदेश सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य